प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 27)

[28 मई, 2007]

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (ज) में, उपखंड (iघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन। 1956 का 42

"(iङ) ऐसे किसी निर्गमनकर्ता द्वारा, जो विशेष प्रयोजन वाला सुभिन्न अस्तित्व है, जिसके पास ऐसे अस्तित्व को समनुदेशित बंधक ऋण सहित कोई ऋण या प्राप्य राशियां हैं, और जो बंधक ऋण सहित, यथास्थिति, ऐसे ऋण या प्राप्य राशियों में ऐसे विनिधानकर्ता के फायदाप्रद हित को अभिस्वीकार करता है, किसी विनिधानकर्ता को जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र या लिखत है (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 17क का अंत:स्थापन।

"17क. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई प्रतिभूतियां तब तक जनता को प्रस्थापित नहीं की जाएंगी या किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं की जाएंगी जब तक कि निर्गमनकर्ता ऐसे पात्रता के मानदंड को पूरा नहीं कर देता और ऐसी अन्य अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर देता जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं। धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का जनता को निर्गमन और उनका सूचीबद्ध किया जाना।

(2) धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसा निर्गमनकर्ता जो जनता को उसमें निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों या लिखतों की प्रस्थापना करने का आशय रखता है, जनता

को प्रस्थापना दस्तावेज जारी करने से पूर्व एक या अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में या ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने वाले ऐसे प्रमाणपत्रों या लिखतों के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करेगा।

(3) जहां सूचीबद्ध किए जाने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदित अनुज्ञा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों या उनमें से किसी के द्वारा नहीं दी गई है या देने से इंकार कर दिया गया है वहां निर्गमनकर्ता तुरंत आवेदकों से प्रस्थापना दस्तावेज के अनुसरण में प्राप्त सभी धन का यदि कोई हों, प्रतिसंदाय करेगा और यदि ऐसा कोई धन निर्गमनकर्ता के उस धन का प्रतिसंदाय करने के लिए दायी होने के पश्चात् आठ दिन के भीतर प्रतिसंदत्त नहीं किया जाता है, तो निर्गमनकर्ता और उसका, यथास्थिति, प्रत्येक निदेशक या न्यासी, जो व्यतिक्रमी है, आठ दिन की समाप्ति को ही, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से उस धन का पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने के दायी होंगे।

स्पष्टीकरण—किसी अन्य दिन के पश्चात् आठवें दिन की गणना करने में ऐसे किसी भी मध्यवर्ती दिन की, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश दिन है, अवहेलना की जाएगी और यदि आठवां दिन ही (इस प्रकार गणना करने पर) ऐसा सार्वजनिक अवकाश दिन है, तो उक्त प्रयोजनों के लिए उसके पश्चात् पहला दिन जो अवकाश दिन नहीं है रखा जाएगा। 1881 का 26

(4) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी पब्लिक कंपनी की प्रतिभूतियों के सूचीबद्ध किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के सभी उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 2 के खंड (ज) के उपखंड (iङ) में निर्दिष्ट प्रकृति की प्रतिभूतियों को ऐसे निर्गमनकर्ता द्वारा, जो विशेष प्रयोजन वाला सुभिन्न अस्तित्व है, सूचीबद्ध कराने के लिए लागू होंगे।''।

धारा 23 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''धारा 17'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 17 या धारा 17क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 31 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह रीति जिसमें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की साधारण शेयर पूंजी का, कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे शेयरधारकों से भिन्न, जिनके पास उस धारा की उपधारा (8) के अधीन व्यापार अधिकार हैं, जनता द्वारा धारा 4ख की उपधारा (7) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह मास के भीतर धारित किया जाता है;

(ख) धारा 17क के अधीन पात्रता का मापदंड और अन्य अपेक्षाएं।''।

राष्ट्रपति ने दि सिक्योरिटीज कान्ट्रैक्ट्स (रेगूलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Securities Contracts (Regulation) Amendment Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2732OLW(S5)—30-8-2007.